



Neutral Citation No. -2026:AHC:1010

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 796 वर्ष 2025

चंद्र भुवन राय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	कैलाश नाथ सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता	:	भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश नाथ सिंह, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. प्रस्तुत याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :

“i. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 3/ तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि वह ग्राम सलोनी, महिमपुर, मड़ियाहूँ, जनपद जौनपुर स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या 301/टी202114360406078-टी201314364666 [पन्नालाल बनाम ग्राम सभा] का निर्णय करे;

ii. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 3/ तहसीलदार, तहसील सदर, जनपद जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि वह ग्राम सलोनी, महिमपुर, मड़ियाहूँ, जनपद जौनपुर स्थित प्लॉट संख्या 633, क्षेत्रफल 0.1340 हेक्टेयर, जो 'भीटा' के रूप में दर्ज है, तथा प्लॉट संख्या 637, क्षेत्रफल 0.2270 हेक्टेयर, जो 'तालाब' के रूप में दर्ज है, पर प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाए।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड की अभिलेखीय प्रविष्टि को दृष्टिगत रखते हुए, विवादित भूखण्ड से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए।

4. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही पूर्व में ही पंजीकृत की जा चुकी है तथा तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अपील का भी निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि तहसीलदार तथा कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध निजी प्रतिवादी द्वारा दाखिल रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित है; अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।
6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार द्वारा बेदखली एवं हर्जाना का आदेश पारित किया गया है, जिसे अपील में बरकरार रखा गया है।
7. उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय पुस्तिका के पैरा 460 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन पारित आदेश के क्रियान्वयन/निष्पादन हेतु प्रावधान विनिर्दिष्ट है; अतः प्रस्तुत लोकहित याचिका विचारणीय नहीं है।
8. यह उल्लेखनीय है कि निजी प्रतिवादी द्वारा दाखिल रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, यद्यपि इस न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
9. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
10. तदनुसार, प्रस्तुत लोकहित याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 6, 2026

रमीज़

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।